

6/12/2021

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक - 4/12/2021 को पेश हो

29/12/2024

पत्रा: पेश हुई/प्राची मय वकील के उपस्थित  
 वादी/प्राची के प्राचीन-पत्र के आधार  
 पर दावा खारिज किया जा चुका है अब  
 प्राचीन - पत्र 212 RTI का कोई अधिकार  
 नहीं रहे जाता है।  
 प्राचीन - पत्र 212 RTI इसी तरह पर  
 खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली मुलत मुकदमा के दावा के लिए है।

प्रा-प विद्वा  
कलक  
-वाएवाहें

नौ नारायण

29/12/24

29/12/24

उपस्थित अधिकारी  
नंदबड़ भरतपुर

